UPET010012062025

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–1,एटा।

उपस्थित: मनीषा (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O. CODE: UP 06137

दाण्डिक अपील संख्या: 08/2025

1. श्रीमती नीलम उम्र करीब 32 वर्ष पत्नी विनोद कुमार पुत्री मंगूलाल
2. मयंक उम्र करीब 14 वर्ष पुत्र विनोद कुमार
3. कु० यशी उम्र करीब 10 वर्ष पुत्री विनोद कुमार

समस्त निवासीगण–ग्राम रसूलपुर थाना मलावन जिला एटा। **...अपीलार्थीगण**

बनाम

1. उ०प्र०सरकार द्वारा डी०जी०सी०क्रिमिनल एटा।
2. विनोद कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र वेदराम
3. वेदराम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र कन्हीलाल

निवासीगण–तिगरा ममौरा थाना जैथरा जिला एटा। **..प्रतिपक्षीगण**

अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
थाना मलावन, जिला एटा।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (जिसे इस निर्णय में संक्षेप में "अधिनियम, 2005" कहा जाएगा) की धारा 29 के अंतर्गत दायर की गई है। यह अपील न्यायालय, सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजि०/त्वरित न्यायालय एटा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07–02–2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है,जो दाण्डिक वाद संख्या 1290/2013 विनोद कुमार व 01 अन्य बनाम श्रीमती नीलम व 02 अन्य में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में, इस मामले का तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.02.2025 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है हर आयने निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.02.2025 मनमानी पूर्ण व पक्षपात पूर्ण है कथित आदेश पारित करने में अवर न्यायालय ने स्वविवेक का स्तेमाल नहीं किया है पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर कतई ध्यान नहीं दिया है। अपीलान्ट की ओर एक परिवाद सं0–3818/2020 श्रीमती नीलम व 2 अन्य बनाम विनोद कुमार व 1 अन्यु धारा–12

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.04.07 17:01:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० के अन्तर्गत दिनांक–01.11.2019 को दायर किया। विपक्षीगण को प्रोवेशन अधिकारी के माध्यम से सम्मन भेजे गये रजिस्ट्री भेजी। पत्राक सं०–1340 दिनाकित–22.12.2021 सलग्न है। पर्याप्त तामील होने के उपरान्त विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए कोई जबाब प्रस्तुत नहीं कियां दिनाक 12.04.2022 को विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करने का आदेश दिया। अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के सत्प में स्वंय को ए०पी०डब्लू 1 कागज सं०–13 अ व ए०पी०डब्लू द्वितीय के रूप में महेशचन्द्र कागज सं०–14 अ के रूप में व 5 किता फर्द खतौनियाँ खाता सं०–00568, 00076, 00163,00022, 00374 मौजा तिगरा ममौरा परगना आजम नगर तहसील–अलीगंज, जिला–एटा की साक्ष्य के रूप में दाखिल की। अवर न्यायालय में दिनांक–17.10.2022 को विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश एक पक्षीय पारित किया जिसमें परिवादिया को 1000/– रूपया व कु० यशी को 1500/– रू0 व मंयक को 1500/– रू० प्रतिमाह भरण पोषण एवं अन्य खर्चा के लिये विपक्षीगण को अदा करने का आदेश दिया। विपक्षीगण ने कथित आदेश दिनांक 17.10.2022 का अनुपालन नहीं किया मजबूर होकर अपीलान्ट ने धारा–31 घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधि० के अन्तर्गत वाद दायर किया जो एक दाण्डिक वाद है उक्त वाद में विपक्षीगण हाजिर नहीं हुए। भरणपोषण का कोई रूपया आजतक विपक्षीगण ने अपीलान्ट को अदा नहीं किया। जो एक दण्डनीय कृत्य है जिसमें 1 वर्ष की सजा व 20 हजार रूपया अदा करने तक प्राविधान है कथित कृत्य विपक्षीगण का संज्ञेय अपराध है अजमानतीय है। कथित वाद 488 सन् 2023 है। कथित वाद सं०–488 सन् 2023 में विपक्षीगण को नोटिस जारी हुए। नोटिसों की तामील होने के उपरान्त भी विपक्षीगण ने कथित आदेश दिनांक–17.10.2022 का अनुपालन नहीं किया तदुपरान्त विपक्षीगण को R.W. व N.B.W जारी हुए। एस०एस०पी० एटा अनुरोध पत्र भेजा गया दो बार पर्याप्त तामील होने के उपरान्त भी विपक्षीगण कथित वाद सं0–488 सन् 2023 में उपस्थित नहीं हुए। जानबूझकर विपक्षीगण ने आदेश दिनांक–17.10.2022 का अनुपालन नहीं किया। विपक्षीगण ने चुपके–चुपके एक प्रार्थना पत्र दिनाक 04.08.2023 को कथित आदेश दिनाक–17.10.2022 को खण्डित कराने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी। क्षेत्रीय पुलिस ने विपक्षीगण को गिरफ्तार करने के लिये घर पर दबिश दी। मजबूर होकर विपक्षीगण ने दिनाक–30.11.2024 को कथित प्रार्थना पत्र की प्रति दी जिसपर दिनाक–06.12.2024 को अपीलान्ट ने अपात्ति प्रस्तुत कर कहा कि विपक्षीगण जानबूझकर न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए है जानबूझकर मुकद्दमा को टालते चले आ रहे है नोटिसों रिकवरी वारण्ट व गिरफ्तारी वारण्ट की विधिवत तामील है। प्रार्थना पत्र दिनाक 04.08.2023 को विपक्षीगण ने न्यायालय में दवाये रखा जिसकी जानकारी नहीं होने दी। प्रार्थना पत्र विपक्षीगण दिनांक 07.02.2025 को अवर

न्यायालय ने 20 हजार रूपये हर्ज पर स्वीकार कर दिया जो कालबाधित था। जिसके लिये धारा 5 मियाद अधि० का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र के देरी माफी के लिये प्रस्तुत भी नहीं किया था। कथित प्रार्थना पत्र विपक्षीगण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.10.2022 को निरस्त कराने व मूलवाद सं0–3818 सन् 2020 में आपत्ति दाखिल करने की प्रार्थना की थी। अवर न्यायालय में कथित प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के आधर पर आदेश दिनांक–07.02.2025 को पारित किया है कि मूल वाद सं0–3818/2020 मूल नंम्बर पर कायम हो। आदेश दिनांक 17.10.2022 बीस हजार रूपयो हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद सं0–1290/2023 विनोद कुमार आदि बनाम नीलम आदि तथा प्रकीर्ण वाद सं0–488 सन् 2023 नीलम बनाम विनोद कुमार आदि दोनों वाद दाखिल दफ्तर हो। वाद अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 कतई संधारणीय नहीं है विपक्षीगण की और से प्रार्थना पत्र तहवीजसानी प्रकीर्ण वाद सं0–1290 सन् 2023 में प्रार्थना की गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.10.2022 निरस्त किया जावे तथा मूल वाद सं0–3818/2020 में आपत्ति दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जावे। प्रकीर्ण वाद सं0–488/2023 में विपक्षीगण हाजिर नहीं हुए है कोई रूपया भी जमा नहीं किया गया है कोई आपत्ति भी नहीं की गयी है। कथित वाद सं0–488 सन् 2023 को निस्तारित करने का अवर न्यायालय को कोई हक व अधिकार भी नहीं है जो दाण्डिक वाद है जिसकी धारा–31 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधि० के अन्तर्गत अलग न्यायिक प्रक्रिया है। जिसमें विपक्षीगण को न्यायालय में हाजिर होकर जमानत करानी पड़ती है। न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्ध आरोप निर्मित किये जाते है। तदुपरान्त दण्ड की व्यवस्था है जिसमें विपक्षीगण को एक वर्ष की सजा व 20 हजार रूपया अर्थदण्ड से दण्डित करने की व्यवस्था न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० के अन्तर्गत पारित किसी ओदश के विरूद्ध धारा–29 के अन्तर्गत अपील का प्राविधान है प्रार्थना पत्र तजवीजसानी प्रकीर्ण वाद सं0–1290 सन् 2023 कतई पोषणीय नहीं है। उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार होने योग्य है अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 कतई संधारणीय नहीं है अवर न्यायालय ने अपने में निहित शक्तियों का जानबूझकर दुरूपयोग किया है। अतः प्रार्थना है कि पत्रावली उपरोक्त मंगायी जावे अपील स्वीकार की जावे। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.02.2025 खण्डित किया जावे। वाद सं0–488/2023 की प्रक्रिया जारी रखी जावे।

3. समर्थन में अपीलार्थीगण का आधार कार्ड एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2025 की प्रतियाँ दाखिल की गयी है।
4. विपक्षीगण संख्या–2 व 3 की ओर से आपत्ति 14 अ/1 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि

" निगरानी की मद संख्या 1 व 2 में आज दिनांक 07–02–2025 अवर न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग न करते हुए बताया गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि आंज दिनांक 07–02–2025 अवर न्यायालय द्वारा समस्त साक्ष्यों का अवलोकन कर पारित किया गया है। त्रुटि केवल इस तथ्य की है कि आपत्तिकर्तागण मजदूर व्यक्ति है और हर्जा की धनराशि 20.000/–रूपया देने में असमर्थ है। विपक्षीगण द्वारा किमिनल रिवीजन 118/2025 दिनांक 07–02–2025 के विरूद्ध इस बावत प्रस्तुत किया गया है कि एक पक्षीय रूप आदेश दिनांक 17–10–2022 के विरूद्ध अवर न्यायालय में तजवीजसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कियागया था कि मूल परिवाद की जानकारी न होने के कारण मूल परिवाद में उपस्थित नहीं हुए थे नही तामीला थी इसलिए एक पक्षीय निर्णय दिनांक 17–10–2022 रिकॉल किया जाकर जबाब दाखिल का अवसर देते हुए मुकददमा गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जावे। माननीय अवर न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्तागण की तजवीजसानी प्रार्थनापत्र दिनांक 07–02–2025 को मुवलिग 20,000/– रूपया हर्जे पर स्वीकृत की गयी जिसे देने में सक्षम नही है। इसलिए उक्त आदेश विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया था। निगरानी की मद ससंख्या 3 व 4 दिनांक 07–02–2025 के रहते शून्य मानी जायेगी। तथा मद संख्या 5 भी उक्त मदो के संमर्थन की है एवं मद संख्या 6 भी तथ्यो पर प्रकार नहीं डालती है। एवं मद संख्या 6 भी तथ्यों पर प्रकाश नही डालती है। निगरानी की मद संख्या 07 में तजवीजसानी प्रार्थनापत्र दिनांक 04–08–2023 एक पक्षीय आदेश दिनांक 17–10–2022 खण्डित कराने के लिए चुपके चुपके दिया जाना बताया गया है। जो कि गलत है क्योकि हसूली पत्रावली व मूल फाइल के साथ तजवीजसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता था। इसलिए बसूली की कार्यवाही प्रार्थना पत्र लम्बित रहते न्यायालय द्वारा जारी नहीं की गयी थी और निगरानीकर्तागण लम्बे समय से पत्रावली में उपस्थिति नहीं हुए थे। निगरानीकर्तागण की मद संख्या 11 झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। मूल पत्रावली के आदेश दिनांक 17–10–2022 का प्रभाव आपत्ति के लम्बित रहते शून्य हो जाता है तो आर्थिक दंण्ड या सजा का प्रावधान् गुण दोष के निर्णय पर देखा जायेगा। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश सभी तथ्यों पर विधिक है लेकिन हर्जा 20,000/– रूपया अविधिक है जिसे देने मे आपत्तिकर्तागण सक्षम नही है। आदेश दिनांक 07–02–2025 के विरूद्ध आपत्तिकर्तागण द्वारा एक क्रिमिनल रिवीजन सं०–118/2025 माननीय अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एटा कक्ष सं० 1 के न्यायालय में लम्बित चल रहा है जिसमें निगरानीकर्तागण ने जबाब दाखिल नही किया है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि उपरोक्त अपील पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा आदेश दिनांक 07–02–2025 पर मुवलिग 20,000/– रूपया हर्जे को कम किया जाकर अपील निरसत करने की कृपा करे।

5. दौरान अपील दोनों प़क्षों की ओर से समझौतानामा कागज संख्या–17 अ/1 प्रस्तुत किया

गया है। पक्षकार उपस्थित हैं, अपीलकर्ती नीलम के फोटो व उसके हस्ताक्षर की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री एस०एस०अंजाना एड० द्वारा किया गया है तथा विपक्षी विनोद कुमार के फोटो व उसके हस्ताक्षर की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मिश्रा एड० की गयी है तथा विपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर पृष्ठाकन किया गया है कि प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है तथा कथन किया गया है कि उक्त अपील में चन्द भले लोगों ने आपस में तसकिया कर दिया है। उभय पक्ष के मध्य अब कोई विवाद नहीं है। उभय पक्ष अब मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं और साथ रहने का फैसला किया है। दिनांक 19–03–2026 को विपक्षी विनोद कुमार पत्नी नीलम, मयंक व यशी को अपने साथ बुलाकर ले गया है। न्यायहित में उक्त मुकदमा का निस्तारण व तसकिया किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत दाण्डिक अपील, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (जिसे इस निर्णय में संक्षेप में "अधिनियम, 2005" कहा जाएगा) की धारा 29 के अंतर्गत दायर की गई है। यह अपील न्यायालय, सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजि०/त्वरित न्यायालय एटा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07–02–2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है,जो दाण्डिक वाद संख्या 1290/2013 विनोद कुमार व 01 अन्य बनाम श्रीमती नीलम व 02 अन्य में पारित आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है। इस मामले में यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत प्रभावी है कि यदि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और तार्किक है, तो अपीलीय न्यायालय को केवल वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव होने के आधार पर उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

8. वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी और विपक्षीगण ने स्वेच्छा से और बिना किसी बाहरी दबाव के आपस में समझौता कर लिया है। इस आशय का एक लिखित 'समझौता–नामा' न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्षों द्वारा की गई है। समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित होता है कि दोनों पक्ष अब शांतिपूर्वक रहने और भविष्य में एक–दूसरे के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न करने पर सहमत हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ वैवाहिक विवादों में पक्षों के मध्य समझौता हो जाता है, वहाँ न्यायिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायोचित नहीं होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना और परिवारों में सामंजस्य स्थापित करना है। जब पक्षकार स्वयं विवाद को समाप्त कर चुके हैं, तो समझौतानामा के आधार पर अपील का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। "अपील की सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक

संयुक्त समझौता–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त समझौते के अनुसार, अपीलार्थी और विपक्षीगण ने अपने मतभेदों को भुलाकर भविष्य में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का निर्णय लिया है। अपीलार्थी ने समझौते के आलोक में अपनी अपील को आगे न चलाने और इसे समझौते के आधार पर निस्तारित करने की सहमति व्यक्त की है। न्यायालय ने समझौते की शर्तों का अवलोकन किया और पाया कि यह समझौता विधिक है और किसी दबाव या प्रलोभन में नहीं किया गया है।"

<u>आदेश</u>

9. "प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 08 वर्ष 2025 नीलम बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2025 अपास्त किया जाता है तथा उक्त अपील उभय पक्षों के मध्य हुए **'समझौतानामा' 17 अ/1** के आधार पर निरस्त की जाती है। पक्षों के मध्य हुआ समझौतापत्र 17 अ/1 इस निर्णय एवं आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।" पत्रावली नियतानुसार दाखिल दफतर हो तथा इस आदेश की सूचना सम्बंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(मनीषा)
दिनांक: 07–04–2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, एटा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनीषा)
दिनांक: 07–04–2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, एटा।